

राजस्थान सरकार  
आयोजना (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 47(5) आयो./मूल्यां./1993

जयपुर, दिनांक:- 19 FEB 2018

—: आज्ञा :-

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(16) वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.07 एवं प. 12(6) वित्त/नियम/2010 दिनांक 18.05.2011 के अनुसार राजस्थान मूल्यांकन सेवा के निम्नलिखित अधिकारी जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले हैं, इनकी जन्मतिथि कॉलम संख्या 4 में अंकित है और ये कॉलम संख्या 5 में अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर रहे हैं। इन अधिकारी को कॉलम संख्या 6 में अंकित तिथि को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से एतद्वारा सेवानिवृत्त किया जाता है।

| क्र. सं. | नाम अधिकारी मय पदनाम       | पदस्थापन स्थान  | जन्मतिथि   | 60 वर्ष पूर्ण करने की तिथि | सेवानिवृत्ति की तिथि |
|----------|----------------------------|---|------------|----------------------------|----------------------|
| 1        | 2                          | 3   | 4          | 5                          | 6                    |
| 1        | श्रीमती दुर्गेश सक्सैना    | मूल्यांकन अधिकारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर             | 20.05.1958 | 19.05.2018                 | 31.05.2018           |
| 2        | श्रीमती साधना भट्ट         | निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, मूल्यांकन संगठन निदेशालय, जयपुर | 06.06.1958 | 05.06.2018                 | 30.06.2018           |
| 3        | श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत | संयुक्त निदेशक, मूल्यांकन संगठन निदेशालय, जयपुर               | 01.08.1958 | 31.07.2018                 | 31.07.2018           |
| 4        | श्री राकेश कुमार सिंह      | संयुक्त निदेशक, मूल्यांकन संगठन निदेशालय, जयपुर               | 10.02.1959 | 09.02.2019                 | 28.02.2019           |

कार्मिक (क-3) विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आदिनांक तक उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/एफ.आई.आर./शिकायत विचाराधीन नहीं है।


आज्ञा से



संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना।
3. निदेशक, मूल्यांकन संगठन निदेशालय, राज., जयपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स, कल्याण विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
6. संबंधित अधिकारी।
7. कम्प्यूटर सैल, आयोजना विभाग को वेबसाईट पर डालने हेतु।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
सहायक शासन सचिव